जन्तुओं पर प्रयोगों के भी कुछ नियम हैं

साइन्तोन बसु

जन्तु पर प्रयोगों से ज़्यादा जज़्बाती मुद्दा विज्ञान में शायद ही कोई और हो। इस तरह के अनुसंधान में लगे लोगों को लगता है कि ऐसे प्रयोग विज्ञान की प्रगति के लिए ज़रूरी हैं। दूसरे जन्तु अधिकारों के हिमायती उन्हें जन्तुओं पर अत्याचार करने वाला मानते हैं और चाहते हैं कि उनकी सार्वजनिक निंदा हो। यहां हम इस मामले में नियम-कायदों की बात करेंगे। ये नियम 'जन्तुओं पर प्रयोग (नियंत्रण व निरीक्षण) कानून, 1998' में वर्णित हैं। यह कानून 1960 के 'जन्तुओं पर निर्ममता की रोकथाम कानून' की धारा 17 (1) के अंतर्गत बनाया गया है। इसका मसौदा जन्तु प्रयोगों के निरीक्षण व नियंत्रण हेतु बनी समिति ने तैयार किया है। इसके बाद सन 2000 में इसमें संशोधन किए गए। इन संशोधनों के कारण वैज्ञानिक समुदाय में तीव्र हड़कम्प मच गया था।

नियमों का सिलसिला

फरवरी, 1996 में केंद्र सरकार ने जन्तुओं पर निर्ममता की रोकथाम कानून के तहत जन्तुओं पर किए जाने वाले प्रयोगों का नियमन करने के लिए एक समिति का गठन किया था। उक्त कानून की धारा 17 के तहत् समिति को यह अधिकार है कि वह जन्तु प्रयोगों से सम्बंधित नियम आदि बना सके। सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण मंत्रालय ने इस समिति के गठन की अधिसूचना जारी करके इस पर आपत्तियां व सुझाव आमंत्रित किए थे। वैज्ञानिकों ने इसका कड़ा विरोध किया था और अधिसूचना में कई परिवर्तन हुए थे। अन्ततः मंत्रालय ने 1998 में जन्तु प्रयोगों सम्बंधी नियम जारी कर दिए। इन नियमों के तहत अनुमति की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। अब यह काम संस्थाओं की समितियां कर सकती हैं मगर उनमें उपरोक्त केन्द्रीय समिति का प्रतिनिधि होता है। इन नियमों के तहत सिर्फ उन्हीं प्रयोगशालाओं को अनुमति मिलती है जो पहले से भारत सरकार के पास पंजीकृत हैं।

अप्रैल, 2000 में केंद्रीय समिति ने फैसला किया कि संस्थाओं की समितियां सिर्फ छोटे प्रयोगशाला जन्तुओं पर प्रयोगों की अनुमति दे सकेंगी। दूसरी ओर बड़े जन्तुओं पर प्रयोग के प्रस्ताव केंद्रीय समिति को भेजे जाएंगे। केंद्रीय समिति ऐसे प्रस्तावों को चेन्नई में एक विशेषज्ञ सलाहकार के पास भेजेगी, जो इन्हें दिल्ली स्थित एक उपसमिति को भेज देगा। इस उपसमिति की टिप्पणियां विशेषज्ञ सलाहकार को भेजी जाएंगी। इनके आधार पर विशेषज्ञ सलाहकार अपना फैसला केंद्रीय समिति की मार्फत सम्बंधित संस्था को भेज देगा। संस्थागत जन्तु नैतिकता समिति में बैठा केंद्रीय समिति का प्रतिनिधि भी जन्तु प्रयोगों से सम्बंधित आवेदनों को अस्वीकार कर सकता है।

नए नियम

नए नियम दिसम्बर, 1998 में जारी अधिसूचना के खिलाफ जाते हैं। उस अधिसूचना में कहा गया था कि जन्तुओं पर प्रयोग करने के लिए केंद्रीय समिति द्वारा अनुमोदित संस्थागत समिति की स्वीकृति ज़रूरी होगी। प्रावधान यह था कि इन संस्थागत समितियों में सम्बंधित अनुसंधान के सारे पहलुओं से जुड़े लोग होंगे और केंद्रीय समिति का प्रतिनिधि भी होगा। संस्थागत समितियां विस्तृत विचार-विमर्श के बाद प्रजातांत्रिक ढंग से निर्णय लेंगी। शर्तें कठोर होने के बावजूद वैज्ञानिक समुदाय को मंजूर थी। किन्तु अप्रैल 2000 में केंद्रीय समिति ने कई परिवर्तन कर डाले। इन परिवर्तनों के अनुसार-

- यदि किसी अन्य तरीके से काम चल सके, तो बड़े जन्तुओं पर प्रयोग न किए जाएं; और
- संस्थागत समितियां मात्र छोटे प्रयोगशाला जन्तुओं पर ही प्रयोगों की अनुमति दे सकेंगी, बड़े जन्तुओं से सम्बंधित प्रस्ताव केंद्रीय समिति के पास भेजे जाएंगे।

वैज्ञानिकों की शिकायत है कि ये नए नियम बिल्कुल अनुचित हैं और इनकी वजह से स्वीकृति प्राप्त करने में बहुत देरी

होती है। परिणाम यह होता है कि राष्ट्रीय संस्थानों और दवा कम्पनियों द्वारा किए जा रहे अनुसंधान में बाधा आती है। दरअसल, इन प्रक्रियाओं का ही नतीजा है कि कई संस्थान नए पदार्थों पर अंतर्राष्ट्रीय पेटेन्ट प्राप्त करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मेनका गांधी कहती हैं कि नए नियम पश्चिमी देशों में स्थापित मापदण्डों के ही अनुरूप हैं। उनके इस कथन में पश्चिम के मापदण्डों को लेकर अज्ञान ही झलकता है। मेनका गांधी का कहना है कि पश्चिमी देशों को इतने सारे पेटेन्ट्स इसलिए मिलते हैं क्योंकि वे अपने जन्तुओं को तन्दुरुस्त हालत में रखते हैं। यू.एस. में जन्तु कल्याण कानून और स्वास्थ्य अनुसंधान विस्तार कानून के मिले-जुले प्रावधानों के कारण जन्तुओं पर अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिक एक संस्थागत जन्तु देखभाल व उपयोग समिति की निगरानी में काम करते हैं। इस समिति में एक पशु चिकित्सा विशेषज्ञ होता है और कम से कम एक सदस्य ऐसा होता है जो संस्था से सम्बद्ध नहीं है। मगर हमारे यहां बड़े जन्तुओं के प्रयोगों का पूरा मामला एक केंद्रीय समिति पर टिका है।

वैकल्पिक नियमन

मूल मुद्दा यह है कि औषधि अनुसंधान को केंद्रीय समिति के दायरे से बाहर रखा जाए और सम्बंधित विभागों को यह अधिकार हो कि जन्तु प्रयोगों की अनुमित दे सकें। इसके लिए स्थानीय नैतिकता समितियां गठित की जा सकती हैं। बेहतर तो यह होगा कि इस तरह के अनुसंधान में लगे संस्थान और वैज्ञानिक स्वयं ही जन्तु प्रयोगों सम्बंधी अपनी नियमन प्रक्रियाओं की छानबीन करें। खुद पर कड़ी निगरानी ही शायद सर्वोत्तम विकल्प होगा।

कानूनी ढांचा

कानून की धारा 5 (ग) के अनुसार पंजीयन करवाने के बाद कोई भी संस्थान केंद्रीय समिति की शर्तों के अधीन होगा। धारा-8 (ग) में यह भी कहा गया है कि जन्तुओं पर प्रयोगों की अनुमति देते हुए केंद्रीय समिति यह शर्त भी लगा सकती है कि जन्तुओं पर अनावश्यक निर्ममता न हो।

सवाल यह है कि इस शर्त के अनुपालन का मापदण्ड क्या हो। दरअसल ऐसी कोई भी शर्त युक्तिसंगत होनी चाहिए अर्थात् इनका सम्बंध स्वीकृत गतिविधि की पूर्ति से या नीति के सिद्धान्तों से होना चाहिए। शर्तों का उपयोग बाधा खड़ी करने के मकसद से नहीं किया जाना चाहिए। यानी शर्त सिर्फ इतनी हो सकती है कि जन्तुओं पर अनावश्यक अत्याचार न हो। मगर यदि इसके लिए जन्तु अनुसंधान पर ही पूरी तरह रोक लगा दी जाए तो इसे उचित नहीं कहा जा सकता। यदि कोई संस्थान शर्तों का पालन नहीं करता, तो ही अनुसंधान पर रोक लगाई जा सकती है। किन्तु यदि यह अधिकार एक तरफा ढंग से इस्तेमाल किया जाता है, तो इसे अनुचित कहा जाएगा। यदि अदालत को लगता है कि कोई शर्त अनुचित है, तो वह शर्त हटा दी जाएगी। इसलिए नियम 10 (घ) के अन्तर्गत प्रयोगशाला जन्तुओं के आयात पर लगाया प्रतिबंध अनुचित है।

सामाजिक मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए नियमों का सम्बंध स्वीकृत गतिविधि यानी वैज्ञानिक अनुसंधान की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए जन्तुओं के कष्ट रोकने सम्बंधी अपने अधिकारों का उपयोग करती है तो ऐसे नियमों का कोई औचित्य नहीं रह जाता।

लिहाज़ा यदि केंद्रीय समिति के विवरणों से पता चलता है कि समिति प्रस्तावित प्रयोग के वैज्ञानिक महत्व से अनभिज्ञ थी और उसके द्वारा किया गया फैसला अनुसंधान की विस्तृत चर्चा के बगैर लिया गया है, तो उसके फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है।

मसलन, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद जन्तुओं पर अत्याचार निवारण कानून, 1960 के उल्लंघन का दोषी पाया गया था। सुविधाओं के अभाव की वजह से उसका वनमानुष गृह न तो पंजीकृत है, न मान्यता प्राप्त। केंद्रीय समिति ने इस संस्थान के जन्तु गृह से बंदरों को मुक्त कराया और उन्हें जंगल में छुड़वा दिया था। गौरतलब है कि इस कानून के तहत दण्ड के रूप में जन्तुओं को जंगल में छुड़वाने का कोई प्रावधान नहीं है। बाद में सामाजिक न्याय मंत्रालय ने स्पष्टीकरण दिया था कि जंगल में ये जन्तु भलीभांति ज़िन्दा रह पाएंगे। यह वक्तव्य कानून व विज्ञान दोनों के बारे में नासमझी का द्योतक है।

मूलतः कानून के निम्नलिखित प्रावधानों की वजह से